

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक-प०नि०वि०/०६-योजना-१८/२०२६...२१८९(५)

दिनांक:- २५/०५/२०२६

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार(ले० एवं ह०)
झारखण्ड, हिन्, राँची।

विषय :- वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में TSP(Road) अन्तर्गत पथों के डी०पी०आर० सूत्रण/छिद्रण कार्य हेतु राशि ₹ ३,६८,७०,००२/- (तीन करोड़ अड़सठ लाख सत्तर हजार दो रुपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :- उपर्युक्त निर्माण कार्य के लिए राशि ₹ ३,६८,७०,००२/- (तीन करोड़ अड़सठ लाख सत्तर हजार दो रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- माँग संख्या-४१-राज्य स्कीम/मुख्य शीर्ष-५०५४-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय/उप मुख्य शीर्ष-०३-राज्य राजमार्ग/लघु शीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना/उप शीर्ष-०१-वृहद् सड़कें/विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण-४५-निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल, अग्रिम योजना, पथ निर्माण विभाग, राँची होंगे तथा इस राशि की निकासी कोषागार, राँची/डोरण्डा से की जाएगी।
- इस कार्य को वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में निम्नवत् एवं भौतिक लक्ष्य १००% के अनुरूप पुरा किया जाएगा :-

कार्य का विवरण			
1	कार्यपालक अभियंता, क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल, अग्रिम योजना, पथ निर्माण विभाग, राँची।	Package-II Feasibility Study and preparation of detailed project report for improvement and upgradation to 2-Lane with paved shoulder/4-Lane configuration of proposed corridors in the State of Jharkhand from – (i) North-South Corridor : Jhumri-Tilaiya (NH-31)-NH-2 (Antkidih)-Bishnugarh-Petarwar-Kasmar-Barlanga-Silli-Radgaon-Saraikela-Chaibasa-Jaintgarh upto Odissa Border (excluding Barlanga-Silli-Radgaon Stretch) Tentative Length-210 Km (ii) Birsa-Lugubura-Parasnath-Babadham-Holy Tourist Corridor : Ranchi-Ormanjhi-Gola-Rajrappa-Lugupahari-Penk-dumri-Giridih-Budhai-Deoghar (Tentative Lench – 170 Km)	3,68,70,002.00
		कुल	3,68,70,002.00

- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची इस कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि अगर ऐसा मामला प्रकाश में आता है कि ऐसी किसी योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इस योजना की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
7. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
8. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

R. Anand
22/05/2026

संयुक्त सचिव,

प०नि०वि०, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :- प०नि०वि०/06-योजना-18/2026... 2189(3) दिनांक:- 25/05/2026

प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, अ०यो० अंचल, प०नि०वि०, राँची/कार्यपालक अभियंता, क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल, अग्रिम योजना, पथ निर्माण विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Anand
22/05/2026

संयुक्त सचिव,

प०नि०वि०, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :- प०नि०वि०/06-योजना-18/2026... 2189(3) दिनांक:- 25/05/2026

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/सचिव, योजना एवं मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर, प्रमण्डल, राँची/आयुक्त, संथालपरगना, प्रमण्डल, दुमका/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची/ अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, राँची/कोडरमा/ बोकारो/सरायकेला-खरसावाँ/पश्चिमी सिंहभूम/रामगढ़/गिरिडीह/देवघर/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष पदाधिकारी (या0) पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उपसचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/उप सचिव (प्र0को0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अन्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-12 एवं 13, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित सहायक को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Anand
22/05/2026

संयुक्त सचिव,

प०नि०वि०, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-प०नि०वि०/०६-योजना-१८/२०२६...२१८९(५) दिनांक:- २५/०५/२०२६

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

P. Usman
22/05/2026

संयुक्त सचिव,
प०नि०वि०, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-प०नि०वि०/०६-योजना-१८/२०२६...२१८९(५) दिनांक:- २५/०५/२०२६

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-०६, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

P. Usman
22/05/2026

संयुक्त सचिव,
प०नि०वि०, झारखण्ड, राँची।